न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 103 / 2022

प्रार्थीगण :—

1. मोबताराम पुत्र गुलाबाराम
   जाति कुम्हार निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. केवा पुत्र खंगारा
2. गीगा पुत्र प्रतापा
3. नपा पुत्र प्रतापा
4. पारू पत्नी प्रतापा
5. बगा पुत्र खंगारा
6. हरशन पुत्र प्रतापा
7. उमा पुत्र लाला
8. छगना पुत्र लाला
9. डाऊराम पुत्र जगाराम
10. नेनू पत्नी करमी
11. पीराराम पुत्र जगाराम
12. भगा पुत्र करमी
13. मिसरा पुत्र करमी
14. रमकू पत्नी लाला जाति रबारी
15. कृष्णकुमार पुत्र मांगीदेवी
16. मफराराम पुत्र मांगीदेवी
17. राणाराम पुत्र मांगीदेवी जाति कुम्हार
18. काना पुत्र रूपा
19. गंगा पत्नी मोडा
20. पूनमाराम पुत्र अनाराम
21. पारूदेवी पत्नी अनाराम
22. बाबू पुत्र मोडा
23. भगवानाराम पुत्र अणदाराम
24. मगा पुत्र भूरा
25. मूली पत्नी रूपा
26. मोहन पुत्र रूपा
27. श्रवण पुत्र अनाराम
28. हिन्दू पुत्र मोडा
29. हीरा पुत्र रणछोडा जाति कलबी निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी
30. ग्राम पंचायत रतनपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी
31. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण — एकतरफा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:53:16 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 23.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत धारा 111 [illegible] धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वतः 2074–2077 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा डेडावास का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 225/1, 226/4 रकबा क्रमशः 2.7033, 1.4569 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा डेडावास का गोलिया के खेत ख़सरा नम्बर 225/1, 226/4 रकबा क्रमशः 2.7033, 1.4569 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन [illegible] पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:53:16 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible]/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी